भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1205
28.07.2025 को उत्तर के लिए

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के निकट पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील भूमि का परिवर्तन

1205. श्री गौरव गोगोई :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के निकट विशेषकर नुमालीगढ़ और डोलामारा जैसे क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील भूमि को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त होने के बावजूद वाणिज्यिक या अवसंरचनागत परियोजनाओं के लिए परिवर्तित किए जाने के बारे में जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकार और केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति के परामर्श से इन परिवर्तनों को मंजूरी दे दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों या पर्यावरण संबंधी दिशानिर्देशों का कोई उल्लंघन होने की सूचना मिली है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या काजीरंगा के आसपास पारिस्थितिकी अवनयन को रोकने तथा इसके मध्यवर्ती और सीमांत क्षेत्रों की सख्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में भूमि के अपवर्तन के प्रस्ताव राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा संबंधित मुख्यमंत्रियों/प्रशासकों की अध्यक्षता वाले राज्य वन्य जीव बोर्ड की उचित सिफारिश के बाद राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (एससीएनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (एससीएनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति, जिसमें प्रख्यात पारिस्थितिकीविद्, संरक्षणवादी और पर्यावरणविद् भी शामिल हैं, उसके विचारार्थ रखे गए प्रस्तावों पर संसूचित निर्णय लेती है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (एससीएनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति की बैठक के कार्यवृत्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के साथ साझा किया जाता है।

एससीएनबीडब्ल्यूएल द्वारा अपवर्तन के लिए दो प्रस्तावों की सिफारिश की गई थी, जिनमें निम्न शामिल हैं-

i. 84वीं एससीएनबीडब्ल्यूएल बैठक में असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर गोहपुर (एनएच-15 पर) उत्तरी तट और नुमालीगढ़ (एनएच 715 पर) दक्षिणी तट के बीच 4-लेन सुरंग द्वारा जोड़ने संबंधी निर्माण का प्रस्ताव और

ii. 78वीं एससीएनबीडब्ल्यूएल बैठक में कलियाबोर से नुमालीगढ़ खंड तक मौजूदा मालवाहक रास्ते (कैरिज वे) को 4 लेन में बढ़ाने और सुधारने का प्रस्ताव।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में कुछ खनन कार्यकलापों में रिट याचिका (सी) संख्या 202/1995 में आई.ए. संख्या 42944/2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 12.04.2019 के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा हैं। उक्त आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं, "काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ कार्बी आंगलोंग पहाड़ी श्रृंखलाओं से निकलने वाली और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बहने वाली नदियों, झरनों और छोटी नदियों के संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र में सभी प्रकार के खनन और संबंधित कार्यकलापों पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए।"

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा उसके आसपास के पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों की पारिस्थितिक अखंडता की रक्षा के लिए, उत्तरी रेंज, डोलामारा में संचालित 28 पत्थर खदानों और 18 स्टोन क्रेशरों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इस संभाग के रंगसाली क्षेत्र में पत्थर निष्कर्षण, सैंड महल्स और रेत-सह-बजरी खनन ठेकों (एमसीए) से संबंधित 10 खनन अनुमतियों के साथ-साथ संबंधित परिचालन क्षेत्रों को भी बंद कर दिया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास वन्य पशुओं की सड़क दुर्घटनाओं और पारिस्थितिकी अवक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. राजमार्गों पर पशुओं के सुरक्षित आवागमन के लिए अंडरपास, एलिवेटेड कॉरिडोर और पुलियों का निर्माण।
ii. वन्यजीव गलियारों की पहचान और संरक्षण, ताकि पर्यावास संपर्क बनाए रखा जा सके और पशुओं को सड़क पार करने की आवश्यकता न्यूनतम हो सके।
iii. पशुओं को विनिर्दिष्ट सुरक्षित क्रॉसिंग पॉइंट्स की ओर भेजने के लिए सड़कों के किनारे पर्यावरण अनुकूल अवरोधों और बाड़ों की स्थापना।
iv. वन्यजीव क्रॉसिंग क्षेत्रों के पास रंबल स्ट्रिप्स और स्पीड ब्रेकर जैसे गति कम करने वाले उपायों का कार्यान्वयन।
v. वन्यजीवों की उपस्थिति के बारे में ड्राइवरों को सचेत करने और गति नियमों को लागू करने के लिए सूचनात्मक और चेतावनीपूर्ण साइनबोर्ड लगाना।
vi. वन्यजीव सुरक्षा के बारे में यात्रियों और स्थानीय समुदायों को शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना।
vii. पशुओं की आवाजाही पर नजर रखने तथा इसके निवारण के लिए महत्वपूर्ण स्थानों की पहचान करने के लिए कैमरा ट्रैप्स, इन्फ्रारेड सेंसर और ड्रोन का उपयोग किया जाएगा।

*****